प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 28.11.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04 वाहन (मोटरसाइकिल, स्कूटी) बरामद ।

आज दिनांक 28.11.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गढ़ी कटैय्या अंडरपास के पास से वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. हारिश उर्फ बटला पुत्र राशिद निवासी कबूतर चौक से आगे रोड़ी बजरपुट की दुकान के ऊपर इस्लाम का किराये का मकान, सुंदरनगरी थाना नंदनगरी दिल्ली 2. सैफ पुत्र नईम निवासी नगर पालिका के पास खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 03 मोटरसाइकिल तथा 01 स्कूटी बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम दोनों लोग मोटरसाइकिलें/स्कूटी चोरी कर उन्हें सस्ते दामों पर लोगों को बेच देते है और मुनाफा आपस में बांट लेते है । ये मोटरसाइकिले भी हमने अलग-अलग जगहों से चोरी की थी, जिन्हें हमने बेचने के लिए छिपाकर रखा हुआ था । आज हम इन वाहनों को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकले थे, कि आपने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. हारिश उर्फ बटला पुत्र राशिद निवासी कबूतर चौक से आगे रोड़ी बजरपुट की दुकान के ऊपर इस्लाम का किराये का मकान, सुंदरनगरी थाना नंदनगरी दिल्ली, उम्र 19 वर्ष
2. सैफ पुत्र नईम निवासी नगर पालिका के पास खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. 01 मोटर साईकिल सुपर स्पलेंडर रंग काला रजि0नं0 DL5SBA7505, चैसिस न0 MBL JAR032H9E33765 व इंजन न0- JA05EGH9E33893 सम्बन्धित पंजीकृत मु0अ0स0 036741 थाना जाफराबाद दिल्ली
2. 01 मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस रजि0 न0- DL5SCH5745 व चैसिस नम्बर MBLHAW086KHK00636 व इंजन नम्बर HA10AGKHK00492 सम्बन्धित e-FIR No. 026196 e-POLICE Staion MV Theft (crime branch delhi)
3. 01 मोटर साईकिल होंडा ड्रीम युगा रजि0 न0-DL8SBB4789 व चैसिस नम्बर ME4JC583JC8072057 व इंजन नम्बर JC58E1072016 सम्बन्धित FIR No. 032347 e POLICE Staion MV Theft (crime branch delhi)
4. 01 स्कूटी TVS NTORQ रजि0नं0 DL5SDE0895 चैसिस न0- MD626BK32P3N01418 व इंजिन नं0- AK3NP3202511 मु0अ0सं0 368/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार कमि0 गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त सैफ उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग थाना अंकुर विहार पर तथा आयुध अधि0 के 02 अभियोग थाना लोनी, आयुध अधि0 का 01 अभियुक्त थाना ट्रोनिका सिटी, लूट व आयुध अधि0 के 02 अभियोग थाना मुरादनगर तथा चोरी के 03 अभियोग ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर पंजीकृत है तथा अभियुक्त हारिश उर्फ बटला पर चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग थाना अंकुर विहार पर तथा चोरी के 04 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा से एन0सी0आर0 क्षेत्र में गाँजे की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गाँजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से करीब 50 लाख रू0 कीमत का 101.600 किलोग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त कैण्टर गाडी बरामद

दिनांक-28/11/2024 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उडीसा से लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश , दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे गाँजा तस्करी करने वाले 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को डासना से मुरादनगर जाने वाले रास्ते पर डी.एम.ई. अण्डरपास के नीचे थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार गाँजा तस्कर उड़ीसा राज्य से कैण्टर वाहन मे गांजा छिपाकर दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ला रहा था जिसके कब्जे से कुल 101.600 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रूपये है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त सुरेन्द्र ने बताया कि वह 10वीं पास है उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी इसीलिए यह बडी गाडी (ट्रक व कैन्टर) की ड्राइवरी का काम करके अपना घर चलाता था लेकिन गाडी ड्राईविंग के काम में उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था ।ट्रक ड्राईवरी करते हुए वह दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माल लोड करके उडीसा पश्चिम बंगाल ले जाता था। इसी दौरान भुवनेश्वर (उड़ीसा) में सुरेन्द्र की मुलाकात एक ऐसे ड्राइवर से हुई जो अन्य माल के साथ गांजे की तस्करी करता था । उसने सुरेन्द्र को गांजा तस्करी के बारे में बताया और कहा कि उड़ीसा से दूसरे राज्यों में गांजे की तस्करी करने में काफी फायदा होता है उस ड्राइवर ने सुरेन्द्र को उड़ीसा के ही ओमवीर से मिलवाया जो उडीसा से देश के विभिन्न राज्यों में गांजे की तस्करी करता था । ओमवीर को भी ऐसा व्यक्ति चाहिये था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एन.सी.आर. हरियाणा में गांजे की तस्करी कर सके और उसका कोई पुराना रिकार्ड न हो । गांजा तस्करी करने के लिए गांजा देकर जिस पार्टी को और जिस स्थान पर सप्लाई करनी होती थी वह पार्टी ओमवीर ही बताता था । उडीसा राज्य से गांजे की तस्करी करके सम्बंधित पार्टी तक पहुँचाने पर प्रत्येक चक्कर सुरेन्द्र को 40 से 50 हजार रुपये प्रति कुन्टल मिलते थे ।

अभियुक्त ने पूछताछ पर यह भी बताया कि वह कैन्टर गाडी में उडीसा से गांजा लोड करके चलता हैं तो अपना फोन बन्द कर लेता हैं और किसी से भी कोई सम्पर्क नहीं करता हैं। जब तक कि माल को उसके तयशुदा जगह पर न पहुँचा दे। गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्र गाँजा तस्करी का काम पिछले करीब 4-5 वर्षो से कर रहा है । सुरेन्द्र ने कभी भी गांजा तस्करी के काम में किसी अन्य को शामिल नही किया और न ही अपने किसी जानने वाले को इस बारे में बताया है । गाँजा तस्करी के काम में कई गुना फायदा होता है जिससे यह अपने घर के खर्चे व शौक पूरा करता है।
अभियुक्त से पूछताछ पर एन0सी0आर0 क्षेत्र मे गाँजे का क्रय-विक्रय करने वालो के सम्बन्ध मे कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दविशें दी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

सुरेन्द्र पुत्र सत्तो निवासी ग्राम खिट्टावटा थाना कोसीकला जनपद-मथुरा उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.गांजा नाजायज – 101.600 किलोग्राम
2.तस्करी मे प्रयुक्त कैन्टर रजिस्ट्रेशन न0-HR38W3604

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01, अभियोग मा दक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा घर में से चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से लगभग 3.5 लाख रूपये कीमत की पीली व सफेद धातु, 45000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल व दो मोबाईल बरामद।

दिनांक 12.11.2024 को वादी श्री संजय कुमार निवासी – बी 22 एचआईजी फ्लैट्स थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाज़ियाबाद ने सूचना दी कि दिनांक 11.11.2024 को मै अपने परिवार के साथ यशोदा अस्पताल गया था शाम को जब घर वापस आया तो घर का दरवाजा खुला मिला जिसमें घर की अलमारी से सारा सामान अस्त व्यस्त हालत में था अलमारी मे रखी सोने की ज्वैलरी व कुछ रूपये किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिये है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण--

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 28.11.2024 को संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को महर्षि वाल्मिकी मूर्ति वाले मैदान के पास से चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार किया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण--

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों नशा करने के आदी है अपने नशे के शौक को पुरा करने के लिए हम घरों मे चोरी आदि कि घटना करते है दिनांक 11/11/24 को नन्दग्राम क्षेत्र स्थित बी ब्लाक में दो घरों का ताला तोड़कर चोरी की थी तथा दिनांक- 22.11.2024 को मधुबन बापूधाम के सेक्टर 23 में भी घरों के तालो को तोड़ कर सामान चोरी किया था। हमने चोरी किये सामान को बेचकर जो धन अर्जित किया था उसे आपस में बांट लिया था। आज हम शेष चोरी के सामान बेचने की योजना बना रहे थे। जो पैसे बरामद हुए है ये चोरी के माल को बेचकर जो धन अर्जित किया था उन्ही रूपये से बचे हुए थे। बाकि रूपये हमने नशे व खाने पीने में खर्च कर दिये है।

अभि0 का नाम व पता--

1. मोसीन उर्फ नदीम पुत्र स्व0 हनीफ निवासी गली नं0-11 बडी मस्जिद के पास बडी तहसील के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद अमरोहा हाल पता गली नं0-2 अंग्रेजी ठेका के पीछे खोडा थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र-लगभग 26 वर्ष
2. सरफराज उर्फ फैज पुत्र समीम निवासी गांव जनैटा थाना बनियाठेर जनपद संभल हाल पता गली नं0-1 थाना खोडा के पीछे थाना खोडा उम्र- लगभग 24 वर्ष
3. विकास सोनी पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम महाधो पोस्ट सरधना जिला मेरठ हाल पता गली नं0-3 गोरख पार्क सादरा थाना ज्योति नगर जनपद पूर्वी दिल्ली उम्र-56 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त मोसीन उर्फ नदीम उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग चोरी संबंधी व मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग चोरी संबंधी गाजियाबाद कमिश्नरेट में कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभियुक्त सरफराज उर्फ फैज के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग चोरी संबंधी व मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग चोरी संबंधी व थाना विजयनगर पर 01 अभियोग चोरी संबंधित गाजियाबाद कमिश्नरेट में कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।
3. अभियुक्त विकास सोनी उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 02 अभियोग चोरी संबंधी व मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग चोरी संबंधी गाजियाबाद कमिश्नरेट में कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

- 3.5 लाख रुपये कीमत की पीली व सफेद धातू
- 45000/- रुपये नगद बरामद
- एक स्पलेण्डर मोटर साइकिल रजि0 नं0-DL 3 SFQ 7322
- 2 मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।